



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक-~~1174~~/13सी0

1474/13सी

दिनांक 11/09 -2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद-पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.95 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/66802/2020)

संदर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 2868/12-1 देहरादून दिनांक 29 मई 2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपत्ति का निराकरण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत है:-

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव में विषयसूची संलग्न नहीं है। प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषयसूची प्रस्ताव के प्रारम्भ में संलग्न की जानी अपेक्षित है।	प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषयसूची प्रस्ताव के प्रारम्भ में संलग्न कर दी गयी है।
2	उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित सूचना/प्रपत्रों को प्रस्ताव में संलग्न विषय सूची अनुसार यथोचित स्थान पर चस्पा / संलग्न किया जाय तथा साथ ही ऑनलाईन भी अपलोड किया जाय।	सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित सूचना / प्रपत्रों को प्रस्ताव में संलग्न विषय सूची अनुसार संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आकलन वर्तमान में प्रचलित नई दरों अनुसार आकलित कर प्रस्ताव में संलग्नक की जानी अपेक्षित है।	कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से होनी है।
4	100 वृक्षों के वृक्षारोपण की दस वर्षीय वृक्षारोपण योजना नई प्रचलित दरो वित्तीय वर्ष 2025-26 अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न की जानी अपेक्षित है।	कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से होनी है।
5	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या-FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है:- a. In respect of linear projects, the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022. will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency. b. The provisions of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account. उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न / अपलोड किया जाए।	a- कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से होनी है। b- कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से होनी है।

6	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि परियोजना से उत्सर्जित होने वाले मलवे का तकनीकी एवं सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये ताकि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपनी पूर्ण संस्तुति सहित SIR के साथ प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑनलाईन पार्ट-II में यथास्थान अपलोड की जाय।	कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से होनी है।
7	प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग के द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में लगाया जाय कि मलवा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
8	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलबा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिये उपयोग में लाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गदगी नहीं फंकी जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
12	प्रभागीय वनाधिकारी के SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी की एस०आई०आर संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें। (प्रति संलग्न)	कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से होनी है।
13	परियोजना निर्माण से कोई जल स्रोत प्रभावित न होने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
14	प्रस्तावित परियोजना के समरेखण के आस-पास वन्यजीव / वास स्थल का विवरण।	प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

अतः उक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित किया जा रहा है, प्रकरण में अपने स्तर से विधिवत् स्वीकृति हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)

पत्रांक /13सी० तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा।
3. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो०नि०वि० पिथौरागढ़।
5. सहायक अभियन्ता लो०नि०वि० अस्कोट को प्रेषित।
6. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट।
7. खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)

1- MAIN ATTACHMENTS

Status of the main mandatory attached documents in the proposal sent online by

(प्रस्ताव के साथ अपलोड किये गये संलग्नकों की स्थिति)

प्रस्ताव का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण कार्य। (लम्बाई 8.20 किमी०).

Date of receiving Proposal at Nodal Office:-

(नोडल कार्यालय में प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि) :-

Sl. No.	Name of Documents	Attached status		Remark (Required correction / clarification)
		Yes	No	
1	2	3	4	5
1.1	Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency सक्षम अधिकारी / ऑनलाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी / कर्मचारी का प्रमाण पत्र	✓	1	1.1
1.2	Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted सर्वे ऑफ इण्डिया टोपाशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	✓	2-3	1.2
1.3	Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS. मैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस के साथ दिखाया गया हो।	✓	4	1.4
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend (kml File) (pdf file) गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखन एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	✗		
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land (pdf file) प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	✓	5.16	1.5
1.6	Certificate by DM-Forest right act 2006 reg. (in MoEF revised prescribed form) (pdf file) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्रमाण पत्र मय संलग्नकों के (नये प्रारूप में)।	✓	6-16	1.6 - 1.16
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: signed by DFO (pdf file) प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों।	✗		

1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA. (kml File) signed by DFO (pdf file)			
	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	X		
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency ? A Copy of ownership proof and No objection Certificate (pdf file)			
	यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वनभूमि अथवा राजस्व वनभूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र			
1.10	Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency (pdf file)			
	भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार (PDF)	✓	17	1.10
1.11	Cost benefit analysis (in more then 5.00 ha land diversion cases) (pdf file)	X		
	विस्तृत लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।			

2- ADDITIONAL ATTACHMENTS

Status of the additional attached documents in the proposal sent online by

(प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले अतिरिक्त सूचनाओं की स्थिति)

प्रस्ताव का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण कार्य। (लम्बाई 8.20 किमी०)

Date of receiving Proposal at Nodal Office:-

(तिथि जिस दिन प्रस्ताव नोडल अधिकारी कार्यालय में प्राप्त हुआ) :-

Sl. No.	Name of Documents	Attached status		Remark
		Yes	No	
1	2	2	3	4
2.1	A short narrative importance of project (pdf file) प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता	✓	18-22	2.1
2.2	Administrative and Financial sanction (pdf file) परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति	✓	23-25	2.2
2.3	Preliminary Joint Inspection report (by user agency, forest department, revenue department etc) (pdf file) संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)	✓		
		✓	27	2.3
2.4	Comparative chart showing statement of both alignment or alternate site explored for the proposed project and reasons for their rejection duly countersigned by DFO. (pdf file) वैकल्पिक समरेखनों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का औचित्य एवं कारण।	✓	28-30	2.4
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum (pdf file) जिलाधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र	✓	31	2.5
2.6	Land schedule (for R.F. signed by DFO and civil soyam, Van Panchayat and private nap land signed by DM) (pdf file) प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल (रिजर्व फोरेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)	✓	32	2.6
2.7	Category wise (R.F civil soyam, Van Panchayat and private nap land. Notified forest land etc.) land length, width and area in Ha. (pdf file) परियोजना की लम्बाई, चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र है० में भूमि विभिन्न वर्ग वाद, आरक्षित, निजी वन, वन पंचायत, निजी भूमि आदि।	✓	33-35	2.7

2.8	Bar chart with index (counter signed by DFO) (pdf file)			
	परियोजना का भूमि उपयोग का बारचार्ट । (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)		36	2.9
2.9	Compensatory afforestation scheme in civil and soyam land (10 years) by DFO (pdf file)			
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण परियोजना सिविल भूमि पर (10 वर्ष दर)			
2.10	Certificate Regarding suitability of identified land for compensatory afforestation by DFO (pdf file)			
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उपर्युक्त प्रमाण-पत्र (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)			
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory duly counter signed by the DFO (pdf file)			
	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को वहन किये जाने का प्रमाण पत्र (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)			
2.12	Road side/gap filling plantation estimate (by DFO) (pdf file)		37	2.12
	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन।			
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation (by user agency) (pdf file)		38	2.13
	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण पत्र।			
2.14	Estimate of 100 trees plantation by DFO (less then 1-0 ha cases) (pdf file)		39-40	2.14
	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण पत्र (1 है० से कम में लागू)			
2.15	Details of the trees with their scientific name in RF. Civil Soyam. Van Panchayat, Private Notified land and in Nap land should be mentioned (with valuation of the trees to be felled) (0-10 dia trees will be mentioned as saplings) (pdf file) Tree count		41-45	2.15
	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम (सूची आरक्षित वन क्षेत्र, सिविल, वन पंचायत, एवं निजी भूमि दोनों अलग-अलग बनायी जानी होगी)			
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided (pdf file)		46	2.16
	बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण पत्र			
2.17	If felling of trees is not involved, certificate by DFO in this regard (pdf file)		47-48	2.17
	अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।			
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work (pdf file)		49	2.18
	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र।			

2.19	Muck disposal scheme (in prescribed format) (pdf file) परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना (निर्धारित प्रारूप में)।	✓	50-63	2-19
2.20	Whether project area is a part of National Park or sanctuary and aerial distance of the project from National Park or sanctuary signed by DFO. (pdf file) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र।			
2.21	If the project area is within 10 km. radius of N/P or centaury, Comments/No objection certificate of CCF wild Life has to be provided (pdf file) यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य के 10 किमी० की परिधि में आता है तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र।	✓	64-67	2-21
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF GoI. (pdf file) यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्यजीव परिषद एवं मा० उच्चतम न्यायालय की अनुमति।		✓	✓
2.23	No violation has taken place FC Act 1980 reg. (pdf file) वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र।	✓	68	2-23
2.24	NOC from local Gram Sabhas (pdf file) आम-सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	✓	68-72	2-24
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation (pdf file) प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्राक्कलन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मय नाम एवं पद के साथ।	✓	69-71	✓
2.26	Component wise details of construction work (pdf file) अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण (यदि लागू हो तो)	✓	✓	✓
2.27	Certificate work has not been started reg. (pdf file) कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र।	✓	73	2-27
2.28	Geologist report (Govt. approved Geologist) (pdf file) भू-वैज्ञानिक की आख्या।	✓	74-78	2-28
2.29	Task Force Report टास्क-फोर्स रिपोर्ट।	✓	79	2-29
2.30	Standard Condition मानक शर्त का विवरण।	✓	80	2-30
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition (pdf file) प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	✓	81	2-31

2.32	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas (excluding drinking water). टार्क फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।	✓	81	2.32
2.33	No historical/monumental or religious place will be effected reg. (by DM/DFO) (pdf file) धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण-पत्र।	✓	83.	2.33
2.34	Undertaking regarding no animal will be effected adversety by the project (pdf file) वन्यजीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाएँ जाने का प्रमाण-पत्र।	✓	84.	2.34
2.35	Undertaking to provide alternative fuelwood kerosene or LPG to labours involved in project (pdf file) परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तेल एवं रसोई गैस का प्रमाण पत्र।	✓	85.	2.35
2.36	Benefited villages/Families/Population certificate (pdf file) लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र।	✓	86	2.36
2.37	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreme Court /MoEF orders by DFO (pdf file) एनपीवी की देयता का प्रमाण पत्र।	✓	87	2.37
2.38	Undertaking of payment of NPV. If Hon'ble Supreme Court increases the rates of NPV (by user agency) (pdf file) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एनपीवी की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण पत्र।	✓	88	2.38
2.39	Cost of the forest land and lease rent certificate by DM (pdf file) वनभूमि के लीज रेंट का प्रमाण पत्र	✓	89	2.40
2.40	Certificate of Lease period by user agency (pdf file) लीज अवधि का प्रमाण पत्र।	✓	90	X
2.41	Demarcation of Land to be diverted (pdf file) आर०सी०सी० पिलरों के सीमांकन का प्रमाण पत्र।	✓	90	2.41
2.42	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work (pdf file) आर०सी०सी० पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया।	✓	91.	2.42
2.43	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation certificate by Chief Secretary (pdf file) क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्य सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)	X	X	X
2.44	Check list/Fact Sheet चैक लिस्ट/फैक्ट शीट।	✓	92-93	2.44

फैक्ट सीट

(५२)

1. परियोजना का नाम:— जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण कार्य स्वीकृत लम्बाई 8.200 किमी० की वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

2- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में) —

मोटर मार्ग में आरक्षित वनभूमि —	— है०
मोटर मार्ग में प्रभावित राज्य/सिविल भूमि—	0.540 है०
मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित राज्य/वन भूमि—	0.400 है०
योग	0.940 है०
मोटर मार्ग में प्रभावित नाप भूमि—	6.840 है०
सम्पूर्ण योग	7.780 है०

3- प्रस्तावक विभाग का नाम — लोक निर्माण विभाग अस्कोट

4- वन प्रभाग का नाम — पिथौरागढ़।

5- प्रस्ताव में बाइंडिंग किया गया है — हाँ

6- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है — हाँ

7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग — 1,2 व 3 के सभी

बिन्दुओं की सूचना भरी गई है — हाँ

8- क्या प्रारूप में वॉछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है — हाँ

9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है —

10- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है — हाँ

11- बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है — हाँ

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है — वृक्षों की संख्या न्यूनतम है।

13- समरेखन में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है — हाँ

14- क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है — हाँ

15- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है — नहीं (1.6.20 5/10)

16- क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है — नहीं (1.6.20 5/10)

17- प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है — हाँ

18- क्या परियोजना क्षेत्र में वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है — नहीं

19- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है -

यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है - नहीं

20- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हाँ

21- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है -

(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें।) - नहीं

22- क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ

23- यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ

24- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - नहीं

25- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। - नहीं

26- सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य संभावनाएँ/वैकल्पिक समरेखन मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हाँ

27- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)

28- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है - हाँ
(5 है० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

29- मानचित्र व वार चार्ट में एकरूपता है - हाँ

30- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - हाँ

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ

31- राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ

32- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न हैं -

यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं - हाँ

33- यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है - नहीं

34- वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हाँ

35- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हाँ

36- क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।


अध्यापक (विशेषज्ञ) (A)
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

हस्ताक्षर
प्रस्तावक विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी

अध्यापक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम – जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण हेतु प्रस्तावित (0.400 हे०) वन भूमि में मलुवा निस्तारण हेतु चयनित किये गये स्थलों पर कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


कनिष्ठ अभियंता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)

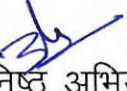

सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)


अधिशाली अभियंता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)

:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम – जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण में किसी प्रकार का जल स्रोत प्रभावित नहीं हो रहा है।


कनिष्ठ अभियंता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)


सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)


अधिशाली अभियंता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)

:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम — जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण के समरेखण के आस - पास वन्यजीव / वास स्थल नहीं है।


कनिष्ठ अभियंता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)


सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)


अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)

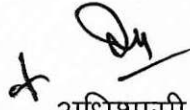
:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम – जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण से वन भूमि पर प्रस्तावक विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई गन्दगी नहीं की जायेगी।


कनिष्ठ अभियंता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)


सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)


अधिशाली अभियंता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)

कार्य का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण कार्य (लम्बाई 8.200 किमी०)।
काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में दस गुना वृक्षों अथवा न्यूनतम 100 वृक्षों के रोपण हेतु प्राक्कलन मय रख रखाव
वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

रोपित किये जाने वाले पेड़ों की संख्या 100

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई	ईकाई दर (रु०)	योग
1	सर्व एवं सीमांकन	1.00 है०	97.00	97.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1.00 है०	584.00	584.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी(फैन्सिंग)	1.00 है०	26460.00	26460.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान	1.00 है०	7750.00	7750.00
5	गद्दा खुदान (0.30x0.30x0.45)	100 पौध	7.33	733.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु० प्रति है०)	1.00 है०	485.00	485.00
7	पौधों की कीमत(प्रथम वर्ष)	100 पौध	5.89	589.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	1.00 है०	400.00	400.00
9	अन्य कार्य	1.00 है०	1085.00	1085.00
योग प्रथम चरण -				38183.00

द्वितीय चरण

1	गद्दा भरण कार्य (0.30x0.30x0.45)	100 पौध	1.15	115.00
2	पौधों की कीमत(द्वितीय वर्ष)	100 पौध	1.15	115.00
3	पौध डुलान कार्य	100 पौध	6.39	639.00
4	पौधारोपण व थावलाबन्दी	100 पौध	2.06	206.00
5	निराई, गुड़ाई व मलिवंग (दो बार)	100 पौध	0.76	76.00
6	खाद व दवा पर व्यय	1.00 है०	420.00	420.00
7	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (596रु०x1है०x18माह)	8 Month	5960	47680.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	8.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1.00 है०	350.00	350.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4मी० की पट्टी साफ करना	1.00 है०	225.00	225.00
	8.3 वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	1.00 है०	400.00	400.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी,सुतली, बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने पॉलीथीन सीट कय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	1.00 है०	700.00	700.00
10	अन्य कार्य	1.00 है०	200.00	200.00
योग द्वितीय चरण -				51126.00
योग- प्रथम चरण + द्वितीय चरण -				89309.00

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष अनुसूक्षण कार्य	12 Month	600.00	7200.00
2				
	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1.00 है०	350.00	350.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00 है०	225.00	225.00
	2.3 वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	1.00 है०	200.00	200.00
3	अन्य कार्य	1.00 है०	200.00	200.00
योग:- (प्रथम वर्ष रख रखाव)				8175.00

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई	ईकाई दर (रु०)	योग
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष अनुसूक्षण कार्य	12 Month	730.00	8760.00
2	अन्य कार्य	1.00 है०	200.00	200.00
योग:- (द्वितीय वर्ष रख रखाव)				8960.00

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	720.00	8640.00
2	अन्य कार्य	1.00	है०	200.00	200.00
योग:-(तृतीय वर्ष रख रखाव)					8840.00

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	720.00	8640.00
2	अन्य कार्य	1.00	है०	200.00	200.00
योग:-(चतुर्थ वर्ष रख रखाव)					8840.00

वृक्षारोपण का पांचवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवें वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	720.00	8640.00
2	अन्य कार्य	1.00	है०	200.00	200.00
योग:-(पांचवें वर्ष रख रखाव)					8840.00

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	720.00	8640.00
2	अन्य कार्य	1.00	है०	200.00	200.00
योग:-(छठे वर्ष रख रखाव)					8840.00

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	720.00	8640.00
2	अन्य कार्य	1.00	है०	200.00	200.00
योग:-(सातवां वर्ष रख रखाव)					8840.00

वृक्षारोपण का आठवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त आठवां वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	720.00	8640.00
2	अन्य कार्य	1.00	है०	200.00	200.00
योग:-(आठवां वर्ष रख रखाव)					8840.00

वृक्षारोपण का नवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवें वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	720.00	8640.00
2	अन्य कार्य	1.00	है०	200.00	200.00
योग:-(नवें वर्ष रख रखाव)					8840.00

वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त दसवें वर्ष अनुरक्षण कार्य	12	Month	720.00	8640.00
2	अन्य कार्य	1.00	है०	200.00	200.00
योग:-(दसवें वर्ष रख रखाव)					8840.00
				कुल योग-	177164.00
				या	177100.00

वन क्षेत्राधिकारी
धारबूला

आज दिनांक 28/04/2024 को ग्राम पंचायत फिलम में बैठक बुलाई गयी, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित बोन-से गै-मोटर मार्ग में प्रभावित हो रही नाप भूमि पर चर्चा की गई, बैठक के दौरान मोटर मार्ग में पड़ने वाली नाप भूमि के सभी भू-स्वामी मौजूद थे मोटर मार्ग निर्माण हेतु पड़ने वाली नाप भूमि को सभी भू-स्वामी सहमत देने को तैयार हैं, बैठक की उपस्थिति निम्न प्रकार है -

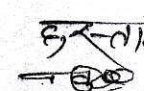
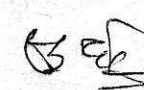
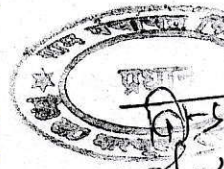
नाम	हस्ताक्षर	नाम	हस्ताक्षर
1- उदय सिंह		18- गंगोत्री देवी	गंगोत्री देवी
2- भूपेन्द्र फ़िरमाल	भूपेन्द्र फ़िरमाल	19- मीनाक्षी देवी	मीनाक्षी देवी
3- सुन्दर सिंह		20- कुसुमा देवी	कुसुमा देवी
4- फल सिंह	फल सिंह	21- ज्येन्द्र सिंह	
5- सीता देवी	सीता देवी	22- सुमित फ़िरमाल	
6- सनम देवी	सनम देवी	23- विनीता देवी	विनीता देवी
7- शेर सिंह		24- सनम देवी	सनम देवी
8- हेमन्त फ़िरमाल		25- कृष्ण सिंह	कृष्ण सिंह
9- धन सिंह	धन सिंह	26- सुरेश सिंह	
10- कुलो सिंह	कुलो सिंह	27- उषा देवी	उषा देवी
11- अन्न सिंह	अन्न सिंह	28- विरमा देवी	विरमा देवी
12- कुमा देवी	कुमा देवी	29- निर्मला	निर्मला
13- दीपा देवी	दीपा देवी		
14- लुपपा देवी	लुपपा देवी		
15- रदिमा देवी	रदिमा देवी		
16- ममता देवी	ममता देवी		
17- वन्दना देवी	वन्दना देवी		

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता ()
निर्माण खण्ड लो0नि0वि
अस्कोट (मिथौराखण्ड)


28/04/2024

(72)

आज दि०-२५/०१/२०२५ को ग्राम सभा बोन की बैठक की गई जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित बोन से गो मोटर मार्ग में प्रभावित हो रही नाप भूमि पर चर्चा की गई बैठक के दौरान मोटर मार्ग में पड़ने वाली नाप भूमि के सभी भूस्वामी मौजूद थे। मोटर मार्ग निर्माण हेतु पड़ने वाली नाप भूमि को सभी भूस्वामी सहित देने को तैयार हैं, बैठक की उपस्थिति निम्न प्रकार है।

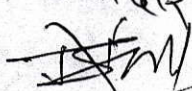
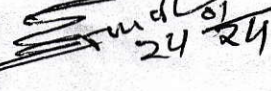
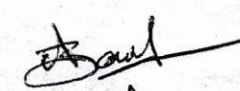
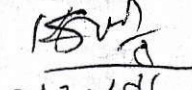
नाम	हस्ताक्षर	नाम	ह०
श्री नाथ सिंह		16- कुल्लु देवी	कुल्लु देवी
पदम देवी		17- डिम्पल देवी	डिम्पल देवी
सुषोमिता		18- कुली देवी	कुली देवी
गोबिंद सिंह		19- राजकुमारी	राजकुमारी
कृष्ण कुमार	कृष्ण कुमार	20- जीवन बोनाल	
सुषोमिता	सुषोमिता	21- कल्याण सिंह	
डिवर सिंह	18 Bena	22- सुरभरी	सुरभरी
अभिषेक	अभिषेक	23- मरी	मरी
आनन्ती	आनन्ती	24- हर्षा देवी	हर्षा देवी
शान्ती देवी	शान्ती देवी	25- मीनका सिंह	मीनका
मान्ती देवी	मान्ती देवी	26- अर्पण	अर्पण
रवीन्द्र	रवीन्द्र	27- उताप सिंह	उताप सिंह
हरीश	हरीश	28- मान सिंह	मान सिंह
भवान सिंह	भवान सिंह	29- पतार	पतार
भूपाल सिंह	भूपाल सिंह	अरवि सिंह	अरवि सिंह



Photo Copy Attached

सहायक अभियन्ता (निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट विभाग)

- 31- जाम
 किशनलाल
 32- संजाना देवी
 33- लक्ष्मण सिंह
 34- सुधा 1/12/82
 35- दानसिंह
 36- चंड सिंह
 37- गोविंद सिंह
 38- मोहन 1/4/82
 39- शकुन्तला देवी
 40- कवीता देवी
 41- उमावती देवी
 42- संगीता
 43- समता देवी
 44- जयन्ता देवी
 45- संध्या देवी
 46- गौरी देवी
 47- अनसिंह
 48- रेखा देवी
 49- लक्ष्मण सिंह
 50- सुमन सिंह
 51- हिमोक्त
 52- विक्रमसिंह
 53- कोता सिंह

810

- संजाना देवी
 सुधा
 दानसिंह
 गोविंद लाल
 मोहन देवी
 शकुन्तला देवी
 कवीता देवी
 उमावती देवी
 संगीता
 समता
 जयन्ता
 संध्या देवी
 गायत्री देवी
 अनसिंह
 रेखा देवी
 लक्ष्मण सिंह
 सुमन सिंह
 विक्रम
 कोता सिंह

